



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-219

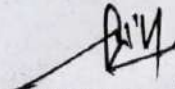
दिनांक 25/01/2023

मैसर्स रियासत इन्फ्रा डवलपर्स प्रा.लि.,
पंजीकृत कार्यालय- 709, ओके प्लस,
सेक्टर-7, मानसरोवर, जयपुर, राज.।

विषय:-निजी खातेदारी की योजना रियासत टाउन, ग्राम देवकीनन्दनपुरा एवं ग्राम चक शिवदासपुरा नं. 2 तह. चाकसू में 12.50 प्रतिशत रहन रखे गये भूखण्डों को रहन मुक्त कर अनुमोदित मानचित्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत ग्राम देवकीनन्दनपुरा एवं ग्राम चक शिवदासपुरा नं. 2 तह. चाकसू के कुल किता 18 कुल रकबा 10.00 हैक्ट. भूमि में "रियासत टाउन" आवासीय योजना में 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे जविप्रा के पक्ष में रहन रखे गये भूखण्डों को विकास कार्य पूर्ण कर रहन मुक्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। इस क्रम में लेख है कि उक्त सम्पूर्ण योजना के आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने पर जविप्रा में रहन रखे गये सम्पूर्ण 12.50 प्रतिशत भूखण्डों को रहन मुक्त कर रहन मुक्ति का अंकन अनुमोदित मानचित्र में कर दिया गया है। अतः अनुमोदित मानचित्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


उपायुक्त, जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

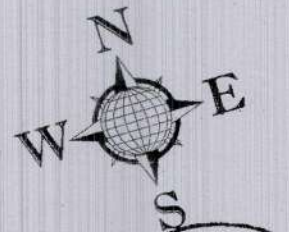
PROPOSED LAY OUT PLAN OF "RIYASAT TOWN"

IN KHASRA NO.- 4 TO 10, 42.

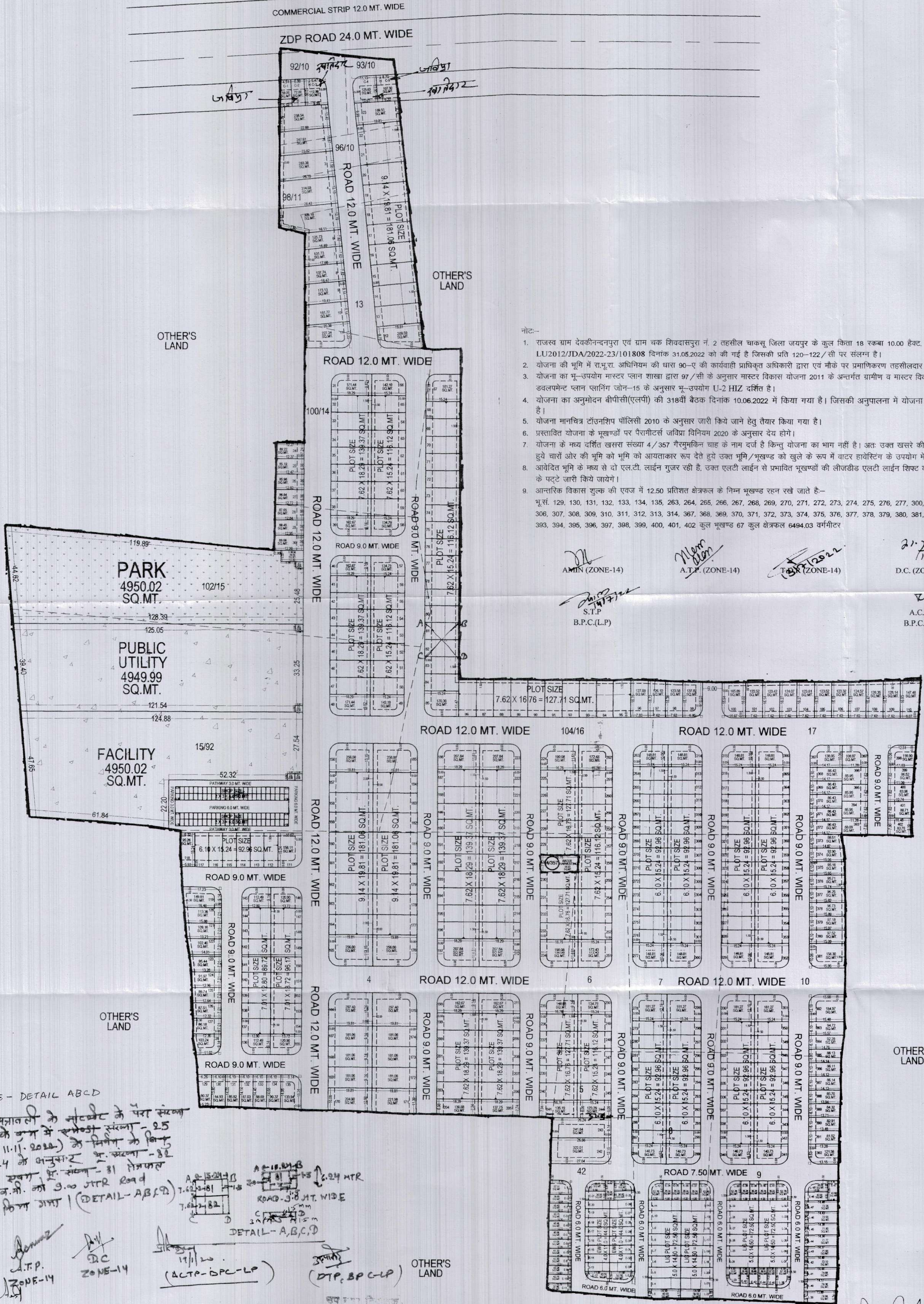
AT VILLAGE :- DEVKINANDANPURA, TEH.- CHAKSU, JAIPUR.

IN KHASRA NO.- 92/10, 93/10, 96/10, 98/11, 13, 100/14, 102/15, 15/92, 104/16, 17.

AT VILLAGE :- CHAK SHIVDASPURA NO.-2, TEH.- CHAKSU, JAIPUR.



1126
B
15.7.22



- नोट:-
- राजस्व ग्राम देवकीनन्दनपुरा एवं ग्राम चक शिवदासपुरा नं. 2 तहसील चकसू जिला जयपुर के कुल किता 18 रकबा 10.00 हेक्टर, भूमि की 90ए आदेश संख्या LU2012/JDA/2022-23/101808 दिनांक 31.05.2022 को की गई है जिसकी प्रति 120-122/सी पर संलग्न है।
 - योजना की भूमि में रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90-ए की कार्यवाही प्राथमिक अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणिकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
 - योजना का भू-उपयोग मास्टर प्लान शाखा द्वारा 97/सी के अनुसार मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण व मास्टर विकास योजना 2025 व जोनल डवलपमेन्ट प्लान प्लानिंग जोन-15 के अनुसार भू-उपयोग U-2 HIZ दर्शित है।
 - योजना का अनुमोदन बीपीसी(एलपी) की 318वीं बैठक दिनांक 10.06.2022 में किया गया है। जिसकी अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
 - योजना मानचित्र टॉउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
 - प्रस्तावित योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर जमिया विनियम 2020 के अनुसार देय होंगे।
 - योजना के मध्य दर्शित खसरा संख्या 4/357 गैरमुक्तिन बाह के नाम दर्ज है किन्तु योजना का भाग नहीं है। अतः उक्त खसरे की भूमि एवं इसके साथ लगते हुये चारों ओर की भूमि को भूमि को आयताकार रूप देते हुये उक्त भूमि/भूखण्ड को खुले के रूप में वाटर हावेस्टिंग के उपयोग में आरक्षित रखा जावे।
 - आवेदित भूमि के मध्य से दो एल.टी. लाईन गुजर रही है, उक्त एलटी लाईन से प्रभावित भूखण्डों की लीडीड एलटी लाईन शिफ्ट करने के उपरान्त ही भूखण्डों के पट्टे जारी किये जायेंगे।
 - आन्तरिक विकास शुल्क की एवज में 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के निम्न भूखण्ड रहन रखे जाते हैं:-
भू.सं. 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 384, 385, 386, 387, 388, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402 कुल भूखण्ड 67 कुल क्षेत्रफल 6494.03 वर्गमीटर

AMIN (ZONE-14)
S.T.P.
B.P.C.(L.P)

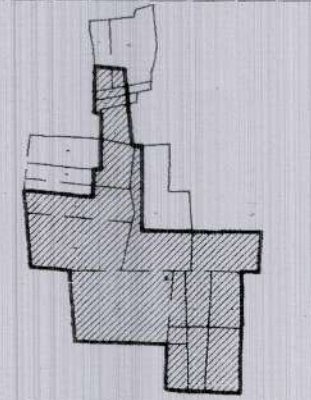
ATP (ZONE-14)
A.C.T.P.
B.P.C.(L.P)

ATP (ZONE-14)
A.C.T.P.
B.P.C.(L.P)

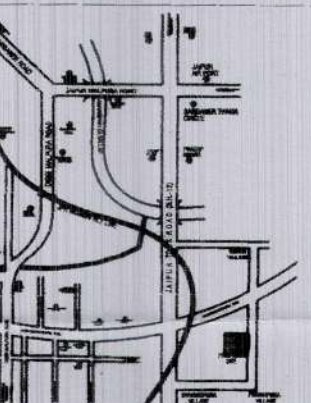
D.C. (ZONE-14)
A.C.T.P.
B.P.C.(L.P)

ज.वि.प्रा.

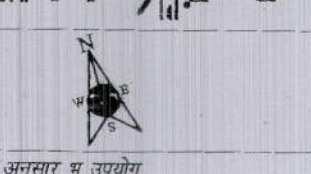
खसरा मानचित्र



पहल मार्ग मानचित्र



दिशा सूचक



मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार भू उपयोग
अवस्थित भूखण्डों की निर्माण विधि :-

- कुल अवस्थित भूखण्ड = 402
- कुल EWS भूखण्ड = 4-47
- कुल LIG भूखण्ड = 1-48
- कुल गुरु भूखण्ड = 5-100
- कुल गुरु भूखण्ड = 5-100
- कुल गुरु भूखण्ड = 5-100

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1.	RESIDENTIAL	51132.31	51.65 %
2.	EWS & LIG	5173.57	05.23 %
3.	RETAIL	600.00	0.60 %
(A)	TOTAL = 1+2+3	56905.88	57.48 %
4.	PARK	4950.02	05.00 %
5.	FACILITY	4950.02	05.00 %
6.	PUBLIC UTILITY	4949.99	05.00 %
7.	WATER HARVESTING	99.43	0.10 %
8.	S.W.M.	50.00	0.05 %
9.	MOBILE TOWER	40.08	0.04 %
10.	P.U. (TOILET)	10.02	0.01 %
11.	ROAD	27042.47	27.32 %
	TOTAL = 4 TO 11	42092.03	42.52 %
	SCHEME AREA	98997.91	100.00 %
(B)	1. KHATEDAR COM.	238.50	23.80 %
	2. J.D.A. COM.	238.51	23.80 %
	3. ZNL. ROAD	525.08	52.40 %
	APPLIED AREA	1002.09	100.00 %

GRAND TOTAL (A+B) 100000.00 SQ.MT.
10.00 HECT.

योजना की भूमि की रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90 ए की कार्यवाही एवं मौके पर भूमि का प्रमाणिकरण भू. वि. प्रा. द्वारा किया गया।
योजना की पूरी भूमि प्राथमिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम
तहसीलदार
उपायुक्त जोन:-

बीपीसी / जी. एल. सी. की बैठक संख्या दिनांक
की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

योजना का नाम :-

जोन संख्या = 14

दिनांक :- 1:1000

सहायक
नगर नियोजक

अति.सहायक
नगर नियोजक

वरिष्ठ
नगर नियोजक

जयपुर विकास प्राधिकरण

CONSULTANT :-

Cad Max
PROJECTS (P) LTD.

CAD MAX PROJECTS PVT. LTD.
301, Third Floor Prism Tower,
Front of Police Head Quarters,
Lal Kothi Tonk Road, JAIPUR
Mobile No. 9829045031